भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 4166**

वाणिज्य विभाग

<u>दिनांक 19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

दार्जिलिंग चाय बागान

4166. श्री यूसुफ पठान:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विशेष रूप से दार्जिलिंग के चाय बागानों के लिए पुराने पौधों को उखाड़ने, पुनः रोपण और वृद्धि के लिए छंटाई हेतु एक विशेष पैकेज देने पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दार्जिलिंग पहाड़ी के अधिकांश चाय बागान 2014 में शुरू की गई पुराने पौधों को उखाड़ने और पुनःरोपण की योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और क्या इसे और अधिक समावेशी बनाने के लिए इस योजना की शर्त की समीक्षा की जानी चाहिए और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार दार्जिलिंग चाय बागान की निरंतरता के लिए इसके महत्व को देखते हुए, 2019 में बंद की गई वृद्धि के लिए छंटाई योजना हेतु सब्सिडी योजना को फिर से बहाल करेगी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या चाय बोर्ड किसी भी नवीनीकृत या नई योजनाओं की उचित निगरानी और उनका सरलीकृत कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा ताकि छोटे और मध्यम आकार के बागानों को लाभ मिल सके और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): भारत सरकार वर्तमान में चाय बोर्ड के माध्यम से 'चाय विकास एवं संवर्धन योजना' का क्रियान्वयन कर रही है, जिसके अंतर्गत दार्जिलिंग सहित पूरे देश में पुरानी और जीर्ण-शीर्ण चाय की झाड़ियों को उखाड़कर पुनःरोपण के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के पुनःरोपण घटक के अंतर्गत, दार्जिलिंग पहाड़ियों में स्थित उन चाय बागानों को प्राथमिकता दी जाती है जो अन्य सभी मानदंडों को पूरा करते हैं। इसके अतिरिक्त, दार्जिलिंग पहाड़ियों के लिए पुनःरोपण हेतु न्यूनतम 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल की शर्त को कम करके 1 हेक्टेयर कर दिया गया है। वृद्धि के लिए छंटाई करना वर्तमान में उपरोक्त योजना का हिस्सा नहीं है।

(घ): चाय बोर्ड ने योजना के कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी के लिए एक योजना समन्वय एवं निगरानी समिति (एससीएंडएमसी) और संचालन समिति का गठन किया है। इसके अतिरिक्त, योजना के विभिन्न घटकों/उप-घटकों के लिए चाय बोर्ड द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा के लिए एससीएंडएमसी की मासिक आधार पर बैठकें होती हैं। इसके अलावा, योजना के विभिन्न उप-घटकों के कार्यान्वयन हेतु सेवाएँ "सर्विस प्लस" पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

*****